अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8362,58,00	8362,61,00	7685,51,71	-677,09,29
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				600,23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	782010.00			
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-6414.00	775598.00	767953.85	-7644.15
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	53493.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-53494.00	..	..	..

(I) ₹53494.40 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतय अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹52839.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹53494.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹52839.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" –

(A) "Crop Husbandry -Assistance to I.C.A.R." -

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3512.00 लाख;

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - ₹3512.00 lakhs;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1940.00 लाख;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - ₹1940.00 lakhs;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1368.00 लाख;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - ₹1368.00 lakhs;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹2560.00 लाख;

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - ₹2560.00 lakhs;

(ड.) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय" – ₹16000.00 लाख;

(e) "I.C.A.R. Headquarters" - ₹16000.00 lakhs;

(खा) "मृदा और जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" –

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R" -

(क) "कृषि–वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3248.00 लाख;

(a) "Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - ₹3248.00 lakhs;

(ख) "जलवायु अनुकूल कृषि पहल" – ₹520.00 लाख;

(b) "Climate Resilient Agriculture Initiative" - ₹520.00 lakhs;

(गा) "पशुपालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3300.00 लाख; और

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - ₹3300.00lakhs; and

(घा) "सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान" ₹20391.00 लाख (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "फसल कृषिकर्म" –

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" –

(i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹7138.80 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹11654.83 लाख की बचत (₹38267.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹761.22 लाख की बचत (₹6124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) "कृषि में बुनियादी, रणनीतिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि"

(D) "General (Agricultural Research and Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal" - ₹20391.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021).

Provisions under above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2415" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry" -

(a) "Assistance to I.C.A.R." -

(i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹7138.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and reduction of provision at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹11654.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38267.00 lakhs);

(iii) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹761.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6124.00 lakhs);

(iv) "National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in

– ₹1793.53 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(v) "राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹23000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1354.23 लाख की बचत (₹5938.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1482.88 लाख की बचत (₹4441.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹634.16 लाख की बचत (₹2732.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय में संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Agriculture" - saving of ₹1793.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs); and

(v) "National Agricultural Higher Education Project (EAP)" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹1354.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5938.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹1482.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4441.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹634.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2732.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "पशुपालन" –

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹2980.76 लाख की बचत (₹25542.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – डेयरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹793.94 लाख की बचत (₹2739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "मत्स्य पालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹538.30 लाख की बचत (₹13274.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई;

(घा) "सामान्य – अन्य संस्थाओं को सहायता" –

(क) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सहायता अनुदान" – ₹772.40 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11000.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(ख) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान" – ₹1022.15 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14590.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Animal Husbandry" -

(a) "Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - saving of ₹2980.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25542.00 lakhs); and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - saving of ₹793.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2739.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals and reduction of provisions at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Fisheries - Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹538.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13274.40 lakhs);

(D) "General - Assistance to Other Institutions" -

(a) "Grants-in-aid to Central Agricultural University, Bundelkhand" - saving of ₹772.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11000.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in February, 2021); and

(b) "Grants-in-aid to Central Agricultural University, Bihar" - saving of ₹1022.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14590.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in February, 2021).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड" – ₹912.80 लाख की बचत (₹2058.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण भर्ती न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹572.99 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹20939.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन में सूचना तथा प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन" – ₹1939.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹717.30 लाख था।

(खा) "सामान्य – अन्य संस्थाओं को सहायता – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान" – ₹19000.00 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित भी हो गईं:–

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at the revised estimates stage by Ministry of Finance.

(c) "Agricultural Scientist Recruitment Board" - saving of ₹912.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2058.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under two heads saving of ₹572.99 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 14 percent and 20 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹20939.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under Major Head "2415" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management" - ₹1939.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹717.30 lakhs.

(B) "General - Assistance to Other Institutions - Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Imphal" - ₹19000.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹986.60 lakhs

शिक्षा स्कीमें" – ₹986.60 लाख का अधिक व्यय (₹17598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "मृदा तथा जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि – वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹2995.22 लाख का अधिक व्यय (₹11868.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of ₹17598.00 lakhs); and

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes" - excess of ₹2995.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11868.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.